

प्रेस नोट जनपद फतेहपुर

दिनांक 18.05.2026

थाना असोथर, बकेवर, ललौली, औंग तथा कोतवाली पुलिस द्वारा हत्या व चोरी एवं फिरौती हेतु अपहरण से संबंधित 24 शातिर अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना असोथर, बकेवर, ललौली, औंग तथा कोतवाली पुलिस द्वारा समाज विरोधी क्रिया कलापों में लिप्त 24 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 2/3 उ0प्र0गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 अंतर्गत गैंगचार्ट अनुमोदन के उपरांत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गैंगेस्टर की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही से अपराध व आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगेगा।

क्र0स0	थाने का नाम	गैंगेस्टर अभियोगों की संख्या	अभियुक्तों का संख्यात्मक विवरण	अपराध का शीर्षक
1.	बकेवर	2	5	चोरी
2.	असोथर	1	2	हत्या
3.	ललौली	1	4	चोरी
4.	कोतवाली	1	7	फिरौती हेतु अपहरण
5.	औंग	1	6	चोरी
संपूर्ण योग		कुल अभियोग- 06	कुल अभियुक्त- 24	